HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 1745/2025
CNR: RJHC020751542025 | URN: SOSA / 3380U / 2025

In

S.B. Criminal Appeal No-2480/2024

Sitaram S/o Motilal, Aged About 28 Years, R/o Saipura Police Station Datwas, District Tonk (Raj.) (At Present Accused Confined In Central Jail, Ajmer)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s) : श्री दीपक चौहान
For Respondent(s) : श्री गौरव गुप्ता, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

13-08-2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय **विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम टोंक, राजस्थान** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–**22/2023 सरकार बनाम सीताराम** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **08.08.2024** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम **बीस वर्ष के कठोर कारावास** से दण्डित किया गया है ।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व

विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। अपीलार्थी/अभियुक्त दिनांक 22.11.2022 से लगातार अभिरक्षा में है, उसकी अभिरक्षा अवधि लगभग चार वर्ष हो चुकी है। उनका निवेदन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का स्थान, समय व दिनांक अंकित नहीं किया गया है। पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता व विचारण के दौरान बयान में बताया है कि अपीलार्थी द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया जिससे वह गर्भवती हो गई परन्तु बेबी का फेटस नमूना लिया गया है, जिसकी डी.एन.ए. रिपोर्ट प्रदर्श सी–1 के अनुसार बेबी का डी.एन.ए. अभियुक्त से मिलान नहीं हुआ है, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा भी निष्कर्ष दिया गया है जो विधि के अनुरूप नहीं है । उनका यह भी निवेदन है कि पक्षकारान के मध्य प्रोपर्टी का विवाद रहा है, साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास है, अपील में उनके द्वारा जो आधार लिए गए हैं उसके आधार पर अपीलार्थी दोषमुक्त होने योग्य है, प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा। अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया। उनका निवेदन है कि मात्र डी.एन.ए.रिपोर्ट के आधार पर सजा स्थगन पर विचार नहीं किया जा सकता है । अतः आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्षों के तर्कों व वितर्कों पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श पी–6, विचारण के दौरान पीड़िता की लेखबद्ध साक्ष्य, चिकित्सकीय साक्ष्य, बेबी के फेटस की डी.एन.ए. रिपोर्ट प्रदर्श सी–1 व अन्य साक्ष्य का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपीलार्थी की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि

अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए (**अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **14.09.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **सीताराम पुत्र मोतीलाल** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/42